न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

---

अपील संख्या :– 85/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. संतरा यादव पत्नी घासीराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम हिंगवाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादनी अपीलांटा

बनाम

1 अशोक कुमार पुत्र पूरण सिंह जाति अहीर निवासी हिंगवोहडा तहसील तिजारा जरिये मु0 खास सुनीता देवी यादव पत्नी श्री अशोक कुमार यादव जाति अहीर निवासी हिंगवाहेडा तह0 तिजारा

:--- वादी रेस्पो0

2 राज0 राज्य जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

3 तहसीलदार तिजारा लैंड होल्डर

:-- प्रतिवादीगण रेस्पों0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,तिजारा राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत हिंगवाहेडा दिनांक 7.6.2017

---

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री विकान्त माथुर

2. वकील रेस्पो0 :– श्री अनिल गुप्ता

निर्णय दिनांक 24.12.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/12 में पारित निर्णय दिनांक 7.6.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट अंतिम रूप से डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 897 रकबा 13 एयर वाके ग्राम हिंगवाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर की बाबत तकासमा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें तहत अदालत द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित कर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई थी । कुर्रेजात रिपोर्ट तलब होने पर प्रकरण में अंतिम डिक्री अपीलाधीन निर्णय 7.6.2017 द्वारा पारित की गई थी, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संतरा ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील प्रतिवादी अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी हमको नहीं थी । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । जानकारी होते ही हमने अपील प्रस्तुत कर दी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय द्वारा हमको भूमि कम दी है । मुझे आधा एयर रकबा कम दिया गया है । यह निर्णय लोक अदालत की भावना से राजस्व कैम्प में पारित किया गया है । लोक अदालत में वही निर्णय पारित किया जा सकता है, जब पक्षकारान में आपसी सैटिलमैट हो गया हो या राजीनामा हो गया हो । मेरी कोई ना तो कोई सहमति थी, ना ही हमने कोई राजीनामा किया । प्राथमिक डिक्री में भी मेरी कोई सहमति नहीं थी । मैंने दुरूस्ती इन्द्राज का कोई काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया । ऐसी स्थिति में मेरा क्लेम खत्म नहीं होता है । ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । देरी का युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, इसलिये मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है, जिसमें अपीलांट की भी सहमति थी । सहमति से लोक अदालत में पारित किये गये निर्णय की अपील नहीं की जा सकती, जैसा कि 2019 आर0 आर0 डी0 पेज 672 में अभिनिर्धारित किया गया है । ऐसा ही 2016–17 (सप्लीमैंट्री) आर0 आर0 टी0 पेज 714 में भी अभिव्यक्त किया गया है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

डिक्री में रेकार्ड एवं मौका कब्जा अनुसार सही रकबा दिया गया है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये तथा प्रकरण का निस्तारण मेरिटस पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाता है तथा देरी को कंडोन किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड में वादी रेस्पो0 विवादित आराजी में से 7 एयर रकबा का खातेदार दर्ज है । तहत अदालत द्वारा इसी आधार पर तथा राजस्व लोक अदालत में अंतिम डिक्री पारित की है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि वादी रेस्पो0 को रेकार्ड एवं मौका कब्जा अनुसार 7 एयर रकबा दिया गया है और अपीलांट को 6 एयर रकबा दिया गया है, जो कि रेकार्ड एवं मौका कब्जा अनुसार विधिसम्मत है । अपीलांट का अपील में मुख्य ऐतराज यह है कि उसे आधा एयर रकबा कम दिया गया है, जो कि कतई तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वह राजस्व रेकार्ड में 6 एयर रकबा का खातेदार दर्ज है और उसे 6 एयर रकबा ही अपीलाधीन डिक्री में दिया गया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा

8 पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.17 यथावत रखे जाते हैं । निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

24/12/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

---

अपील संख्या :– 85/18 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. संतरा यादव पत्नी घासीराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम हिंगवाहेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादनी अपीलांटा

बनाम

1 अशोक कुमार पुत्र पूरण सिंह जाति अहीर निवासी हिंगवोहडा तहसील तिजारा जरिये मु0 खास सुनीता देवी यादव पत्नी श्री अशोक कुमार यादव जाति अहीर निवासी हिंगवाहेडा तह0 तिजारा

:--- वादी रेस्पो0

2 राज0 राज्य जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

3 तहसीलदार तिजारा लैंड होल्डर

:-- प्रतिवादीगण रेस्पों0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,तिजारा राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत हिंगवाहेडा दिनांक 7.6.2017

---

उपस्थित:– 1. वकील अपीलांट :– श्री विकान्त माथुर

2. वकील रेस्पो0 :– श्री अनिल गुप्ता

पर्चा डिक्री दिनांक 24.12.2019

---

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.17 यथावत रखे जाते हैं ।

(कमल राम मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर